

**OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE, GOVT. OF INDIA,
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
ANDHERI (E), MUMBAI - 400 096**

Tel. No. 28294770 Fax No. 28291754/1385

E-mail: dcseepz-mah@nic.in, Website: www.seepz.gov.in

No. SEEPZ-SEZ/EMS/TEN/AGR/98-99/02464

Date: 02.02.2017


To,
M/s. Silicon Interfaces,
Unit No. 175-A, SDF VI,
SEEPZ-SEZ, Andheri East,
Mumbai 400 096.

SUB: Final Opportunity in the show cause notice dated 18.08.2015

Sir,

With reference to the show cause notice dated 18.08.2015 issued under sub-section (1) and clause (b)(ii) of sub-section (2) of section 4 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 and a letter dated 30.01.2017 received from you in this office, you have been granted a final opportunity to appear for **personal hearing on 20.02.2017 at 11.00 am.** before the undersigned.

If you fail to remain present on the date and time specified above, the case will be decided on the basis of facts and material available on record without making further reference and further action under Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 would be initiated against you.



V. P. Shukla

JDC/ Manager (Estate)
SEEPZ-SEZ Authority

विकास आयुक्त का कार्यालय,
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र,
भारत सरकार,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

टेली. नं.28294770 फ़ैक्स नं. 28291754 / 1385

ई-मेल:dcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट: www.seepz.gov.in

सं.सीपज़-सेज़/संपदा/टीईएन/एजीआर/98-99/ 02 464

दिनांक: 02.02.2017

सेवा में,

मेसर्स सिलीकॉन इंटरफ़ेस,
यूनिट नं.175-ए, एसडीएफ VI,
सीपज़-सेज़, अंधेरी (पूर्व),
मुंबई - 400 096

विषय: दिनांक 18.8.2015 के कारण बताओ नोटिस के संबंध में अंतिम अवसर ।

महोदय,

सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत कब्जा बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (बी) (II) तथा उपधारा (1) के अंतर्गत जारी दिनांक 18.8.2015 के कारण बताओ नोटिस तथा इस कार्यालय में दिनांक 30.01.2017 को प्राप्त आपके पत्र के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपको दिनांक 20.02.2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वैयक्तिक सुनवाई के लिए अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया गया है ।

यदि इस बार आप निर्दिष्ट तारीख व समय पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो इस संबंध में, आपको आगे कोई सूचना दिए बिना रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों तथा सामग्रियों के आधार पर इस मामले में निर्णय लिया जाएगा तथा सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत कब्जा बेदखली) अधिनियम 1971 के अंतर्गत आपके विरुद्ध आगे की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी ।



(विजय प्रकाश शुक्ल)

संयुक्त विकास आयुक्त /

प्रबंधक (संपदा)

सीपज़-सेज़ प्राधिकरण